

टाप शीट

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/50

लागू करने की तिथि :28.5.2014

बहेड़ी स्टेशन के ट्रैफिक फाटक सं० 27 'ए', 28 'स्पेशल' एवं इंजी० समपार सं० 30 'बी-1' एवं 33 'बी-1' के संचालन पद्धति में संशोधन किए जाने के कारण बहेड़ी स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/50 दिनांक 24.03.2012 की संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनांक 22.05.2014

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

गेट परिशिष्ट

1. परिशिष्ट 'क-II' – पृष्ठ सं० 6 का पैरा 2.1 संशोधित
पृष्ठ सं० 8 का पैरा 2.4, 2.5 संशोधित
पृष्ठ सं० 9 तथा 10 का पैरा 2.7 संशोधित
2. परिशिष्ट 'क-III' – पृष्ठ सं० 3 का पैरा 1.3 संशोधित
पृष्ठ सं० 6 का पैरा 2.1 संशोधित
पृष्ठ सं० 8 का पैरा 2.4 एवं 2.5 संशोधित
तथा 9,10 का पैरा 2.7 संशोधित
3. परिशिष्ट 'क-V' – पृष्ठ सं० 1 का पैरा 1.1 संशोधित
पृष्ठ सं० 3 का पैरा 1.3 संशोधित
पृष्ठ सं० 6 का पैरा 2.1 संशोधित
पृष्ठ सं० 8 का पैरा 2.4 संशोधित
4. परिशिष्ट 'क-VI' – पृष्ठ सं० 3 का पैरा 1.3 संशोधित
पृष्ठ सं० 6 का पैरा 2.1 संशोधित
पृष्ठ सं० 8 का पैरा 2.4 संशोधित

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

(जे० ए० आजमी)
म०परि०प्र० (सा०)/इज्जतनगर

टापशीट

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/50

लागू करने की तिथि—18.10.2012

किच्छा—बहेड़ी, बहेड़ी—देवरनियों स्टेशनो के मध्य समपार फाटको की संख्या एवं किमी० में परिवर्तन किये जाने के कारण बहेड़ी स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/50 दिनांक 24.3.12 की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 17.10.12 संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठो को बदल दिया गया है।

समान्य भाग—

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1.1 एस०आई०पी० एवं आर०डी० संशोधित।
2. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 (i) समपार फाटको की संख्या एवं किमी० संशोधित।
3. पृष्ठ संख्या 9 पैरा 5 समपार फाटको की संख्या एवं किमी० संशोधित।
4. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 6 (1) (घ) एवं (झ) संशोधित।
5. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 6.2 (घ) समपार फाटको की संख्या संशोधित।
6. पृष्ठ संख्या 12 पैरा 6.3 (ड़) एवं (च) समपार फाटको की संख्या संशोधित।
7. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 6.5 (ख) एवं पैरा 6.6 (घ) समपार फाटको की संख्या संशोधित।
8. पृष्ठ संख्या 14 पैरा 6.6 (क) (4) समपार फाटको की संख्या संशोधित।

परिशिष्ट क— सभी पृष्ठो पर समपार की संख्या एवं किमी० संशोधित।

परिशिष्ट क. I— सभी पृष्ठो पर समपार की संख्या एवं किमी० संशोधित।

परिशिष्ट क. II— सभी पृष्ठो पर समपार की संख्या एवं किमी० संशोधित।

परिशिष्ट क. III— सभी पृष्ठो पर समपार की संख्या एवं किमी० संशोधित।

परिशिष्ट क. IV— सभी पृष्ठो पर समपार की संख्या एवं किमी० संशोधित।

परिशिष्ट क. V— सभी पृष्ठो पर समपार की संख्या एवं किमी० संशोधित।

परिशिष्ट क. VI— सभी पृष्ठो पर समपार की संख्या एवं किमी० संशोधित।

परिशिष्ट क. VII— सभी पृष्ठो पर समपार की संख्या एवं किमी० संशोधित।

परिशिष्ट ख—

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1.1 एवं 1.3 आर०डी०, एस०आई०पी० एवं पी०डी० संशोधित।
2. पृष्ठ संख्या 6 पैरा 4.3.5 (क) समपार फाटको की संख्या संशोधित।
3. पृष्ठ संख्या 7 पैरा 4.3.12, 4.3.13, समपार फाटको की संख्या संशोधित।
4. पृष्ठ संख्या 14, 15 व 16 पैरा 10 में समपार फाटको की संख्या संशोधित।
5. पृष्ठ संख्या 17 पैरा 10 में समपार फाटको की संख्या एवं किमी० संशोधित।
6. आर०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/निर्माण/आईजेडएन/2011/आर०डी०/5 दिनांक 28.11.2011 को आर०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/निर्माण/आईजेडएन/2011/आर०डी०/5 दिनांक 28.11.2011 संशोधन "ए" दिनांक 18.9.12 द्वारा बदला गया।
7. पी०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/निर्माण/आईजेडएन/2011/पी०डी०/6 दिनांक 28.11.2011 को पी०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/निर्माण/आईजेडएन/2011/पी०डी०/6 दिनांक 28.11.2011 संशोधन "ए" दिनांक 18.9.12 द्वारा बदला गया।

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

संख्या-इज्जतनगर/50

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर मण्डल

बहेड़ी स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि
लागू तिथि
पुनरीक्षण तिथि

”बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक III
(बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

- टिप्पणी** : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/50 दिनांक 29.7.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।
2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/IZN/ BHI/ SIP/ 2008 / VER-ZERO/ 38 Alt.”C” पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश संख्या उपमुसिदूर्ई/ नि/इज्जतनगर/2011/(आरडी)/5 दिनांक 28.11.2011 संशोधन “ए” दिनांक 18.9.2012 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कौंटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कौंटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

बहेड़ी स्टेशन बरेली- लालकुआ जं० मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन बरेली से 51.09 किमी० तथा लालकुआ जं० से 32.99 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

देवरनिया (पूर्व दिशा में) 16.90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
किच्छा (पश्चिम दिशा में) 15.29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

- (i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।
- (ii) बाहरी साइडिंग :- कोई नहीं।

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर मण्डल

संख्या-इज्जतनगर/50

बहेड़ी स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि 24.3.12

लागू तिथि 8.9.12

पुनरीक्षण तिथि मार्च 2017

”बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक III
(बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

- टिप्पणी** : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/50 दिनांक 29.7.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।
2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/IZN/ BHI/ SIP/ 2008 / VER-ZERO/ 38 Alt.”B” पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 5 दिनांक 28.11.11 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

बहेड़ी स्टेशन बरेली- लालकुआ जं० मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन बरेली से 51.09 किमी० तथा लालकुआ जं० से 32.99 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

देवरनिया (पूर्व दिशा में) 16.90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

किच्छा (पश्चिम दिशा में) 15.29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

- (i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।
- (ii) बाहरी साइडिंग :- कोई नहीं।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (iii) **हाल्ट स्टेशन :-** रिच्छा रोड हाल्ट, बहेड़ी - देवरनिया ब्लाक खण्ड में इस स्टेशन से 7.24 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.3. **स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :**

| | | |
|------------------|--|---|
| स्टेशनों के बीच | वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है | वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है |
| बहेड़ी - किच्छा | अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (बहेड़ी) | डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (किच्छा) |
| बहेड़ी- देवरनिया | डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (बहेड़ी) | अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (देवरनिया) |

2.4 **ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो :**

शन्ट सिगनल संख्या एसएच 31 एवं डाउन प्रस्थान सिगनल के मध्य 480:1 का ढलान है।

2.5 **अभिन्यास (ले-आउट) :**

अभिन्यास केवल 3 लाइनो का है। लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 परिचालित लाइने है।

2.5.1. **परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :**

(क)

| रनिंग लाइन सं० | स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सीएसआर) | टिप्पणी |
|----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 760 मीटर | मीडियम लेवल प्लेटफार्म वाली लूप लाइन दोनो ओर डेड एण्ड प्रदत्त है |
| 2 | 720 मीटर | मेन लाइन |
| 3 | 720 मीटर | रेल लेवल प्लेटफार्म वाली लूप लाइन दोनों ओर डेड एण्ड प्रदत्त है। |

- (ख) परिचालित लाइन संख्या-2, सीधी लाइन है। परिचालित लाइन सं० 1, 2 एवं 3 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किटिंग अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे 5 रेल की लम्बाई तक दोनो ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (Occupied) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।

- (ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2. **अपरिचालित लाइने एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :**

इस स्टेशन पर कोई अपरिचालित लाइन नहीं है।

2.5.3 **अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं :** कुछ नहीं।

2.6. **समपार फाटक :**

i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

| गेट सं० एवं श्रेणी | स्थिति | सामान्य दशा | संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी | अन्तर्पाशित है या नहीं | संचार | गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| परिचालन समपार फाटक | | | | | | |
| 27-ए | अप शन्ट सिगनल सं० एस एच 32 तथा कौटा सं० 204A के मध्य | सड़क यातायात के लिये खुला | कार्यरत गेटमैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 28-स्पेशल | डाउन शन्ट सिगनल सं० एस एच 31 तथा कौटा सं० 201A के मध्य | सड़क यातायात के लिये खुला | कार्यरत गेटमैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| इंजीनियरिंग समपार फाटक | | | | | | |
| 29- सी | बहेड़ी-किच्छा के मध्य किमी० 32/8-9 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | नहीं | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 30-बी1 | बहेड़ी - किच्छा के मध्य किमी० सं० 34/6-7 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 33-बी1 | बहेड़ी - किच्छा के मध्य किमी० सं० 37/2-3 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 34- सी | बहेड़ी-किच्छा के मध्य किमी० 38/7-8 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | नहीं | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 21- ए | बहेड़ी-देवरनिया के मध्य किमी० 24/9-25/0 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 23- सी | बहेड़ी-देवरनिया के मध्य किमी० 27/0-1 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | नहीं | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |

ii) समपार फाटको के संचालन के विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-VII' देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है।

| प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार | सहकारी/ असहकारी | संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी | चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी | टिप्पणी |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|
| टेलीफोन युक्त डायडो टाइप विद्युत ब्लाक टोकनलैस यन्त्र एक्सल काउन्ट के साथ किच्छा तथा देवरनिया स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध | सहकारी | कार्यरत स्टेशन मास्टर | कार्यरत स्टेशन मास्टर | - |

2.6. **समपार फाटक :**

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

| गेट सं० एवं श्रेणी | स्थिति | सामान्य दशा | संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी | अन्तर्पाशित है या नहीं | संचार | गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| परिचालन समपार फाटक | | | | | | |
| 23-ए | अप शन्ट सिगनल सं० एस एच 32 तथा कॉटा सं० 204A के मध्य | सड़क यातायात के लिये खुला | कार्यरत गेटमैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 24-स्पेशल | डाउन शन्ट सिगनल सं० एस एच 31 तथा कॉटा सं० 201A के मध्य | सड़क यातायात के लिये खुला | कार्यरत गेटमैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| इंजीनियरिंग समपार फाटक | | | | | | |
| 25- सी | बहेड़ी-किच्छा के मध्य किमी० 32/14-15 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | नहीं | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 26-बी1 | बहेड़ी - किच्छा के मध्य किमी० सं० 34/9-10 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 29-बी1 | बहेड़ी - किच्छा के मध्य किमी० सं० 37/4-5 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 17- ए | बहेड़ी-देवरनिया के मध्य किमी० 24/15-25/1 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 19- सी | बहेड़ी-देवरनिया के मध्य किमी० 27/1-2 | सड़क यातायात हेतु खुला | कार्यरत गेटमैन | नहीं | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |

- ii) समपार फाटको के संचालन के विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-VI' देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है।

| प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार | सहकारी/ असहकारी | संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी | चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी | टिप्पणी |
|--|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|
| टेलीफोन युक्त डायडो टाइप विद्युत ब्लाक टोकेनलैस यन्त्र एक्सल काउन्ट के साथ किच्छा तथा देवरनिया स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बन्ध | सहकारी | कार्यरत स्टेशन मास्टर | कार्यरत स्टेशन मास्टर | - |

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रो को संचालित करता है ।

(एस०आर० 14.02(v) जी०आर० 14.03 तथा जी०एण्ड एस०आर० 14.04 देखें)

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :

4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :

बहेड़ी स्टेशन अन्तर्पाशन मानक III, बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ परिचालित लाइन संख्या 1, 2 तथा 3 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉर्टों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है।

प्रदत्त सिगनल :

(क) अप आगमन सिगनल (देवरनिया से)

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल सं० ए 12 - होम सिगनल सं० एस 12 के संकेतों पर आधारित होम सिगनल सं० एस 12 के संकेत निम्न प्रकार हैं -
- (ii) अप होम सिगनल सं० एस 12 - मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) अप होम सिगनल सं० एस 12 - लूप लाइन संख्या 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (iv) अप होम सिगनल सं० एस 12 - लूप लाइन संख्या 3 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (किच्छा को)

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 4 - मेन लाइन संख्या 2 से
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 6 - लूप लाइन संख्या 1 से
- (iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 8 - लूप लाइन संख्या 3 से
- (iv) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2- किच्छा साइड के टोकनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(ग) डाउन आगमन सिगनल (किच्छा से)

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल सं० ए 1 - होम सिगनल सं० एस 1 के संकेतों पर आधारित होम सिगनल सं० एस 1 के संकेत निम्न प्रकार हैं -
- (ii) अप होम सिगनल सं० एस 1 - मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) अप होम सिगनल सं० एस 1 - लूप लाइन संख्या 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (iv) अप होम सिगनल सं० एस 1 - लूप लाइन संख्या 3 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(घ) डाउन प्रस्थान सिगनल (देवरनिया को)

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 5 - मेन लाइन संख्या 2 से
(ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 7 - लूप लाइन संख्या 1 से
(iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 9 - लूप लाइन संख्या 3 से
(iv) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11- देवरनिया साइड के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

अतिरिक्त सिगनल :-

- (i) कालिंग आन सिगनल :-**

| कालिंग आन सिगनल संख्या | विवरण |
|-------------------------------|--|
| अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-10 | अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह देवरनिया साइड से लाइन सं० 1, 2 अथवा 3 में आने के लिये है |
| डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3 | डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह किच्छा साइड से लाइन सं० 1, 2 अथवा 3 में आने के लिये है |

- (ii) शन्ट सिगनल :-**

| आश्रित शन्ट सिगनल | | |
|-------------------|------------------------------|--|
| शन्ट सिगलन संख्या | किस सिगनल के नीचे स्थित है | विवरण |
| एस एच 24 | अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4 | लाइन सं० 2 से किच्छा छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये |
| एस एच 26 | अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6 | लाइन सं० 1 से किच्छा छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये |
| एस एच 28 | अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 8 | लाइन सं० 3 से किच्छा छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये |
| एस एच 25 | डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5 | लाइन सं० 2 से देवरनिया छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये |
| एस एच 27 | डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7 | लाइन सं० 1 से देवरनिया छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये |
| एस एच 29 | डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 9 | लाइन सं० 3 से देवरनिया छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये |

| अनाश्रित शन्ट सिगनल | |
|---------------------|--|
| शन्ट सिगलन संख्या | विवरण |
| एस एच 31 | किच्छा छोर पर लाइन सं० 1, 2 या 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु |
| एस एच 32 | देवरनिया छोर पर लाइन सं० 1, 2 या 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु |

पुनरावर्तक (रिपीटर) :- कोई नहीं।

- 4.1.1(क) **स्टेशन मास्टर पैनल :-** सभी काँटों एवं सिगनल एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं सिगनलों के प्रचालन हेतु पुश बटन प्रदत्त है।
- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।
- (ग) दोनों ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पॉइंट में पाँच सफेद बत्ती वाले जंक्शन इंडिकेटर दिये गये हैं। जंक्शन इंडिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पॉइंट में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिंग रुट इंगित करेगी।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल टोकनलैस ब्लाक यन्त्र की "ट्रेन गोइंग टू" स्थिति से नियन्त्रित है।
- (ङ) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को पाशित करती है, के द्वारा पैनल पर नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, तब यह विद्युतीय रूप से काँटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी०जी०एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।
- (च) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के हरा आस्पैक्ट पर तथा लूप लाइन के 'पीला' आस्पैक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है।
- (छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।
- 4.1.2 **काँटा पुश बटन :-** स्टेशन मास्टर के पैनल के दोनों सिरों पर काँटों के संचालन के लिये प्रत्येक काँटे के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। काँटों को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस काँटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू० एन० (NWWN) पुश बटन तथा रिवर्स स्थिति में करने के लिये काँटे के बटन के साथ आर०डब्लू०डब्लू०एन० (RWWN) पुश बटन दबाना होगा। काँटों का अलग-अलग संचालन गाड़ी को कालिंग आन सिगनल पर आगमन कराने के समय किया जायेगा।
- 4.1.3 **ट्रैक सर्किटिंग :-** परिचालित लाइन संख्या 1, 2 तथा 3 ट्रैक सर्किटेड है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर सम्बन्धित लाइन के ट्रैक सर्किटेड भाग को अतिरिक्त मोटी रंगी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब ट्रैक सर्किटेड भाग आक्यूपाइड/विफल होता है तब पैनल पर इस भाग पर सूक्ष्म 'लाल' प्रकाश तथा रिक्त होने पर 'सफेद' प्रकाश प्रकाशित होगा।

इन ट्रैक सर्किटेड का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। ट्रैक सर्किटेड की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रैक सर्किटेड भाग के रिक्त होने का सुनिश्चय भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।

4.1.4 **पुश बटन रिमाइण्डर कालर :-** पुश बटन रिमाइण्डर कालर पैनल के एक स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल या काँटा या रूट बटन के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रचालन को रोकना हो तो इन कालरों को पुश बटनों के ऊपर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से पुश बटनों को दबाया नहीं जा सकता।

4.1.5 **सिगनल बटन :-** पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है, जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल 'आफ' करने हेतु जिस सिगनल को 'आफ' करना है, उस सिगनल का सिगनल बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है अथवा भेजना है, उस लाइन के रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल 'आफ' हो जायेगा।

4.1.6 **रूट बटन :-** पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल 'आफ' किया जाना है, उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटनों का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल 'आफ' हो जायेगा।

(स्टेशन पैनल पर प्रदत्त अन्य बटनों के संचालन के लिये परिशिष्ट 'ख' में दिये गये विवरण को देखा जाय।)

4.2 **स्थायी रूप से ताला बन्द कॉटें/पृथक्करण (आइसोलेशन) :**

यहाँ स्थायी रूप से ताला बन्द कॉटें नहीं है।

4.3 **विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैन्क हैण्डिल :**

(क) **किच्छा** छोर पर काँटा संख्या- 201A-201B, 202A-202B तथा **देवरनिया** छोर पर काँटा संख्या 203A-203B, 204A-204B मोटर चालित कॉटें है तथा प्रत्येक कॉटें पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये कॉटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते हैं। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैन्क हैण्डिल चाबी द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इन कॉटें को सही ढंग से सेट होना एवं जहाँ आवश्यक हो लाक होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। इनका विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्रैन्क हैण्डिल संख्या | क्रैन्क हैण्डिल द्वारा नियन्त्रित कॉटें विवरण |
|------------------------|---|
| सी०एच० - 1 | किच्छा छोर पर काँटा संख्या - 201A - 201B, 202A - 202B |
| सी०एच० - 2 | देवरनिया छोर पर काँटा संख्या - 203A - 203B, 204A - 204B |

क्रैन्क हैण्डिल के प्रचालन हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट "ख" का पैरा 7 में वर्णित विधि तथा साधारण नियम 3.38 (क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39 (ii) देखें।

(ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित कॉटें को हाथ से प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

| क्रम संख्या | क्रैंक हैण्डल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद | क्रैंक हैण्डल चाबी जाने की तिथि एवं समय | क्रैंक हैण्डल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण | क्रैंक हैण्डल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर | स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर | क्रैंक हैण्डल चाबी वापस करने की तिथि एवं समय | स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर | टिप्पणी |
|-------------|---|---|---|---|----------------------------|--|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4.4 **रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दधि :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.5 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**

स्टेशन पर प्रदत्त सभी सिगनल इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई द्वारा अनवरत प्रकाशित रहते हैं। विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य कौंटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर जनरेटर की व्यवस्था की गयी है।

4.6 **वीडर काउन्टर :-**

पैनल पर निम्नलिखित छः वीडर काउन्टर का प्रावधान है जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. आपात्कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (EUUYN)
2. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (EUYN)
3. कालिंग आन सिगनल के लिये वीडर काउन्टर।
4. आपात्कालीन सिगनल रिपलेसमेन्ट के लिये वीडर काउन्टर (EGGN)।
5. क्रैंक हैण्डल के लिये वीडर काउन्टर
6. आपात् कालीन कौंटा संचालन के लिये वीडर काउन्टर (EWN)
7. दोनो ओर के टोकनलैस ब्लाक यन्त्र के वीडर काउन्टर
8. दोनो ओर के एक्सल काउन्टर के वीडर काउन्टर

जब सम्बन्धित बटन को जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर आती है। हर बार जब इन बटनों का उपयोग किया जाय, तो वह संख्या जैसी कि वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है, को वीडर काउन्टर पंजिका में सम्बन्धित काउन्टर के लिए आवंटित पृष्ठ पर इसकी प्रविष्टि कारणों सहित अंकित किया जाय एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन का चार्ज सौंपते/ग्रहण करते समय वीडर काउन्टरों की वास्तविक संख्या एवं वीडर काउन्टर रजिस्टर की प्रविष्टियाँ समान/ अद्यतन लिखना सुनिश्चित किया जाय।

5. दूर संचार :- स्टेशन मास्टर के कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त हैं -

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- iii) किच्छा स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iv) देवरनिया स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- v) ट्रैफिक गेट सं० 27/ए किमी 31/2-3 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- vi) ट्रैफिक गेट सं० 28/स्पेशल किमी 32/3-4 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- vii) इंजी० गेट सं० 21/A (बहेड़ी-देवरनिया) किमी० 24/9-25/0 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- viii) इंजी० गेट सं० 23/C (बहेड़ी-देवरनिया) किमी० 27/0-1 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- ix) इंजी० गेट सं० 29/C (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 32/8-9 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- x) इंजी० गेट सं० 30/B1 (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 34/6-7 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- xi) इंजी० गेट सं० 33/B1 (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 37/2-3 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- xi) इंजी० गेट सं० 34/C (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 38/7-8 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- xii) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखें)

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03(2), 8.10, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) गाड़ियों का आगमन :

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटेड भाग के लिये ट्रैक आक्क्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख). वाँछित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित है।

लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए :-

- (i) अप गाड़ी लाइन संख्या 1 या 3 पर लेते समय डेण्ड एण्ड तक अथवा लाइन संख्या 2 पर तथा 1 या 3 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 तक।
- (ii) डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1 या 3 पर लेते समय डेण्ड एण्ड तक अथवा लाइन संख्या 2 पर तथा 1 या 3 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-11 तक।

5. दूर संचार :- स्टेशन मास्टर के कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त हैं -

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- iii) किच्छा स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iv) देवरनिया स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- v) ट्रैफिक गेट सं० 23/A के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- vi) ट्रैफिक गेट सं० 24/स्पेशल के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- vii) इंजी० गेट सं० 17/A (बहेड़ी-देवरनिया) किमी० 24/15-25/1 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- viii) इंजी० गेट सं० 19/C (बहेड़ी-देवरनिया) किमी० 27/1-2 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- ix) इंजी० गेट सं० 25/C (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 32/14-15 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- x) इंजी० गेट सं० 26/B1 (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 34/9-10 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- xi) इंजी० गेट सं० 29/B1 (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 37/4-5 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- xii) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखें)

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03(2), 8.10, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) **गाड़ियों का आगमन :**

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटेड भाग के लिये ट्रैक आक्क्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख). वाँछित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित है।

लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए :-

- (i) अप गाड़ी लाइन संख्या 1 या 3 पर लेते समय डेण्ड एण्ड तक अथवा लाइन संख्या 2 पर तथा 1 या 3 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 तक।
- (ii) डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1 या 3 पर लेते समय डेण्ड एण्ड तक अथवा लाइन संख्या 2 पर तथा 1 या 3 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-11 तक।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगाकर घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनाये।
- (घ) डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1 या 2 या 3 में लेते समय गेट संख्या 27/A एवं 28/Spl बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें। गेट नियन्त्रण बटन 552, 551 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन प्रकट हो जायेगा।

इसी प्रकार अप गाड़ी लाइन संख्या 1 या 2 या 3 में लेते समय गेट संख्या 28/Spl एवं 27/A का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें तथा गेट नियन्त्रण बटन क्रमशः 551 एवं 552 को लाकड स्थिति में दबाये। इसके गेट बन्द होने को इंडिकेशन पैनल पर प्रकट हो जायेगा।

- (ङ) आने वाली गाड़ी के लिये वाँछित रूट लगाने तथा होम सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन एवं रूट बटन एक साथ दबायें। सिगनल के रूट में पड़ने वाले काँटों स्वतः सैट हो जायेंगे तथा सिगनल 'आफ' हो जायेगा।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।
- (छ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि काँटों के निकट सूक्ष्म सफेद बत्ती जल गयी है जो सम्बन्धित काँटों के सैट की स्थिति में काँटें लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख ले कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का 'आफ' आस्पैक्ट भी पैनल पर आ गया है।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे-जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है, वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझ कर लाल बत्तियाँ जल जाती है तथा जैसे-जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार करती है, लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ जल जाती हैं।
- (झ) गाड़ी का पूर्ण आगमन तथा काँटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ करके अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर काँटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दे। तत्पश्चात पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

नोट :- ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को सैट करने के लिये साधारण एवं सहायक नियम 5.19 के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा एक्सल काउन्टर की विफलता में की जाने वाली कार्यवाही के लिये सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाये।

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, काँटा वाला, एवं गेट मैन के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

(बालक राम)
म०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)
म०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
म०परि०प्र०/इज्जतनगर

- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगाकर घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) अप अथवा डाउन गाड़ी मेन लाइन संख्या 2 में या लाइन संख्या 1 या 3 में मेन लाइन सेट करके रिसीव करते समय गेट संख्या 23/A एवं 24/Spl बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें। गेट नियन्त्रण बटन 552, 551 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन प्रकट हो जायेगा।

अप गाड़ी लाइन संख्या 1 या 3 में डैड एण्ड सैट करके रिसीव करते समय गेट संख्या 23/A का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें तथा गेट नियन्त्रण बटन क्रमशः 552 को लाकड स्थिति में दबाये। इसके गेट बन्द होना को इंडिकेशन पैनल पर प्रकट हो जायेगा। इसी प्रकार डाउन लाइन संख्या 1 या 3 में डैड एण्ड सैट करके रिसीव करते समय गेट संख्या 24/Spl का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें तथा गेट नियन्त्रण बटन 551 को लाकड स्थिति में दबाये इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा।

- (ङ) आने वाली गाड़ी के लिये वाँछित रूट लगाने तथा होम सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन एवं रूट बटन एक साथ दबायें। सिगनल के रूट में पड़ने वाले कॉटों स्वतः सैट हो जायेंगे तथा सिगनल 'आफ' हो जायेगा।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।
- (छ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि कॉटों के निकट सूक्ष्म सफेद बत्ती जल गयी है जो सम्बन्धित कॉटों के सैट की स्थिति में कॉटों लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख ले कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का 'आफ' आस्पैक्ट भी पैनल पर आ गया है।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे-जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है, वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझ कर लाल बत्तियाँ जल जाती है तथा जैसे-जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार करती है, लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ जल जाती हैं।
- (झ) गाड़ी का पूर्ण आगमन तथा कॉटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ करके अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर कॉटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दे। तत्पश्चात पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

नोट :- ब्लाक लाइन के विरुद्ध कॉटों को सैट करने के लिये साधारण एवं सहायक नियम 5.19 के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा एक्सल काउन्टर की विफलता में की जाने वाली कार्यवाही के लिये सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाये।

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, काँटा वाला, एवं गेट मेन के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 16.10.12 है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/50

बहेड़ी

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-

दिन की पाली :

| | | | | |
|---------------|---|----|---|----------------------------|
| स्टेशन मास्टर | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| काँटावाला | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| फाटकवाला | - | 02 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |

सौंध्य/रात्रि पाली :

| | | | | |
|---------------------|---|----|---|----------------------------|
| सहायक स्टेशन मास्टर | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| काँटावाला | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| फाटकवाला | - | 03 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली का अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 21/A एवं 23/C तथा डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 29/C, 30/B1, 33/B1 एवं 34/C गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-**दिन की पाली :**

| | | | | |
|---------------|---|----|---|----------------------------|
| स्टेशन मास्टर | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| काँटावाला | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| फाटकवाला | - | 02 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |

सौंध्य/रात्रि पाली :

| | | | | |
|---------------------|---|----|---|----------------------------|
| सहायक स्टेशन मास्टर | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| काँटावाला | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| फाटकवाला | - | 03 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली का अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल आन स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 17/A एवं 19/C तथा डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 25/C, 26/B1, एवं 29/B1 गेट मैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-**6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना**

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो तो साधारण नियम 5.09(1)(a)(b)(c), (2)(c), (3)(a)(b)(i) तथा सहायक नियम 5.09(1)(a)(b)(c) के अनुसार कार्यवाही पूर्णतया सुनिश्चित करें।

(अतुल सिंह) (आर०पी०मिश्रा) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मसिदूई/नि/लखनऊ मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/50

बहेड़ी

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :- कोई नहीं।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना :- कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

- (क) जिस परिचालित लाइन पर गाड़ी को लेना है, वह साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ख) मार्ग में पड़ने वाले सभी सम्मुख काँटें वॉछित लाइन के लिये सेट और लाक हों।
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, वह अनुमुख काँटों के आगे पर्याप्त दूरी तक अर्थात् अग्रिम प्रस्थान सिगनल या डेड एण्ड तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित ट्रैक पर क्लीयर संकेत उपलब्ध हो।
- (ङ) अप गाड़ियों के लिये समपार फाटक संख्या 27/A एवं 28/Spl तथा डाउन गाड़ियों के लिये गेट संख्या 27/A एवं 28/Spl को बन्द कराकर सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन 552 एवं 551 लाकड स्थिति में दबाने के बाद गेट बन्द होने का इंडिकेशन स्टेशन पैनल पर उपलब्ध हो गया हो।
- (च) अप गाड़ी लाइन संख्या 1 या 3 में डेड एण्ड सेट करके रिसेव करते समय गेट संख्या 27/A का बन्द होना सुनिश्चित करें तथा गेट नियन्त्रण बटन 552 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन स्टेशन पैनल पर प्रकट हो जायेगा। इसी प्रकार डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1 या 3 में डेड एण्ड सेट करके रिसेव करते समय गेट संख्या 28/Spl का बन्द होना सुनिश्चित करें तथा गेट नियन्त्रण बटन 551 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन स्टेशन पैनल पर प्रकट हो जायेगा।

6.3.1 "आफ" किये गये सिगनल को पुनः "आन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन/ प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति है।
- (ख) गाड़ियों का प्रस्थान / क्रासिंग निम्न प्रकार कराया जा सकता है :-
- (i) अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन
तथा
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन
- (ii) अप गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन
तथा
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-
इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-
इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :- कोई नहीं।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना :- कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

- (क) जिस परिचालित लाइन पर गाड़ी को लेना है, वह साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ख) मार्ग में पड़ने वाले सभी सम्मुख काँटें वॉछित लाइन के लिये सेट और लाक हों।
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, वह अनुमुख काँटों के आगे पर्याप्त दूरी तक अर्थात् अग्रिम प्रस्थान सिगनल या डेड एण्ड तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित ट्रैक पर क्लीयर संकेत उपलब्ध हो।
- (ङ) अप अथवा डाउन गाड़ी मेन लाइन संख्या 2 में या लाइन संख्या 1 या 3 में मेन लाइन सैट करके रिसेव करते सूय गेट संख्या 23/A एवं 24/Spl बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें। गेट नियन्त्रण बटन 552 एवं 551 लाकड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन प्रकट हो जायेगा।

अप गाड़ी लाइन संख्या 1 या 3 में डेड एण्ड सैट करके रिसेव करते समय गेट संख्या 23/A का बन्द होना सुनिश्चित करें तथा गेट नियन्त्रण बटन 552 को लाकड स्थिति में दबायें। इसके गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर प्रकट हो जायेगा। इसी प्रकार डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1 या 3 में डेड एण्ड सैट करके रिसेव करते समय गेट संख्या 24/Spl का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें तथा गेट नियन्त्रण बटन 551 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा।

6.3.1 "आफ" किये गये सिगनल को पुनः "आन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन/ प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति है।
- (ख) गाड़ियों का प्रस्थान / क्रासिंग निम्न प्रकार कराया जा सकता है :-
 - (i) अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन तथा डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन
 - (ii) अप गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन तथा डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूर्द्/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/50

बहेड़ी

- (iii) डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन
तथा
अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान
- (iv) अप गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन
तथा
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान
- (ग) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।
(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एलवी बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है
- (ख) रुकने वाली अप गाड़ियों के सम्बन्ध में गेट सं० 27/A तथा डाउन गाड़ियों के सम्बन्ध में गेट सं० 28/Spl पर कार्यरत गेटमैन का उत्तरदायित्व होगा कि वह गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/ TL को देखने के पश्चात गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर बताये। एल०वी०बोर्ड / टेल लैम्प के सन्दर्भ में गाड़ी अपूर्ण आने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर सक्षम कर्मचारी को भेजकर ट्रेन इन्टैक्ट रजिस्टर में गार्ड से गाड़ी का पूर्ण आगमन रिकार्ड करायेगा। स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह गाड़ी के पूर्ण आगमन एवं उल्लंघन चिन्ह साफ होने के बारे में पूर्णया सन्तुष्ट नहीं हो जाये।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 (vii) देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

- जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-
- (क) अगले ब्लाक स्टेशन से टोकनलैस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटेड भाग के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाकर घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) अप गाड़ी के लिये गेट संख्या 28/Spl, एवं डाउन गाड़ियों के मामले में गेट सं० 27/A को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक होने के बाद सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन 552 या 551 लाकड स्थिति में दबायें इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर मिल जायेगा।

इसके साथ ही अप गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजी० गेट संख्या 29/C, 30/B1, 33/B1 एवं 34/C तथा डाउन गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजी० गेट संख्या 21/A एवं 23/C के गेट मैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करें।

- (iii) डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन
तथा
अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान
- (iv) अप गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन
तथा
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान
- (ग) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।
(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एलवी बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है
- (ख) रुकने वाली अप गाड़ियों के सम्बन्ध में गेट सं० 23/A तथा डाउन गाड़ियों के सम्बन्ध में गेट सं० 24/Spl पर कार्यरत गेटमैन का उत्तरदायित्व होगा कि वह गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखने के पश्चात गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर बताये। एल०वी०बोर्ड / टेल लैम्प के सन्दर्भ में गाड़ी अपूर्ण आने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर सक्षम कर्मचारी को भेजकर ट्रेन इन्टैक्ट रजिस्टर में गार्ड से गाड़ी का पूर्ण आगमन रिकार्ड करायेगा। स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह गाड़ी के पूर्ण आगमन एवं उल्लंघन चिन्ह साफ होने के बारे में पूर्णया सन्तुष्ट नहीं हो जाये।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 (vii) देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

- जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-
- (क) अगले ब्लाक स्टेशन से टोकनलैस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटेड भाग के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाकर घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) अप गाड़ी के लिये गेट संख्या 24/Spl, एवं डाउन गाड़ियों के मामले में गेट सं० 23/A को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक होने के बाद सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन 552 या 551 लाकड स्थिति में दबायें इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर मिल जायेगा।
इसके साथ ही अप गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजी० गेट संख्या 25/C, 26/B1 एवं 29/B1 तथा डाउन गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजी० गेट संख्या 17/A एवं 19/C के गेट मैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करें।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 17.10.12 है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/50

बहेड़ी

- (ड) जाने वाली गाड़ी के लिये वॉछित रूट लगाने तथा सिगनल 'आफ' करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन एवं रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कॉटों स्वतः सैट हो जायें तथा सिगनल 'आफ' हो जायें।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि कॉटों के निकट सूक्ष्म सफेद बत्ती जल गयी है जो सम्बन्धित कॉटों सैट होने की स्थिति में विद्युतीय रूप से लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का 'आफ' आस्पैक्ट भी पैनल पर आ गया है। इसके पश्चात अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो डिपार्टिंग बेल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करे।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे-जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुँचती है वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझ कर लाल बत्तियाँ जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल 'आन' हो जाते हैं। जैसे-जैसे गाड़ी इन ट्रैक सर्किटों को पार करती जाती है, वैसे-वैसे लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ फिर से जल जाती है।
- (ट) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा कॉटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया गया है, कॉटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।
- (ठ) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज़ हो जाने पर परिचालित लाइनों का साफ एवं बाधा रहित होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

6.6(क) प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्तें :

- (1) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (2) प्रस्थान हेतु मार्ग सैट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (3) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित साफ संकेत उपलब्ध हो।
- (4) अप गाड़ी के लिये गेट संख्या 28/Spl, एवं डाउन गाड़ियों के मामले में गेट सं० 27/A को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक होने के बाद सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन 552 या 551 लाकड स्थिति में दबायें इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर मिल जायेगा।

इसके साथ ही अप गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजी० गेट संख्या 29/C, 30/B1, 33/B1 एवं 34/C तथा डाउन गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजी० गेट संख्या 21/A एवं 23/C के गेट मैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करें।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अर्न्तगत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

- (ड) जाने वाली गाड़ी के लिये वॉछित रूट लगाने तथा सिगनल 'आफ' करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन एवं रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कॉटों स्वतः सैट हो जायें तथा सिगनल 'आफ' हो जायें।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियों जल जायेगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि कॉटों के निकट सूक्ष्म सफेद बत्ती जल गयी है जो सम्बन्धित कॉटों सैट होने की स्थिति में विद्युतीय रूप से लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का 'आफ' आस्पैक्ट भी पैनल पर आ गया है। इसके पश्चात अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो डिपार्टिंग बेल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करें।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे-जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुँचती है वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझ कर लाल बत्तियाँ जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल 'आन' हो जाते हैं। जैसे-जैसे गाड़ी इन ट्रैक सर्किटों को पार करती जाती है, वैसे-वैसे लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ फिर से जल जाती हैं।
- (ट) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा कॉटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया गया है, कॉटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।
- (ठ) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज़ हो जाने पर परिचालित लाइनों का साफ एवं बाधा रहित होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

6.6(क) प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्तें :

- (1) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (2) प्रस्थान हेतु मार्ग सैट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (3) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित साफ संकेत उपलब्ध हो।
- (4) अप गाड़ी के लिये गेट संख्या 24/Spl, एवं डाउन गाड़ियों के मामले में गेट सं० 23/A को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक होने के बाद सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन 552 या 551 लाक स्थिति में दबायें इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर मिल जायेगा।

इसके साथ ही अप गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजी० गेट संख्या 25/C, 26/B1 एवं 29/B1 तथा डाउन गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजी० गेट संख्या 17/A एवं 19/C के गेट मैिन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करें।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरो जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अर्न्तगत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

| | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| (अतुल सिंह) | (आर०पी०मिश्रा) | (के०एस०सोनाल) |
| मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर | मसिदूई/नि/लखनऊ | मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर |

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतया परिचालित लाइन संख्या 2 से बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।
- (ख) लूप लाइन संख्या-1 या 3 से कोई गाड़ी बिना रुके सीधे जा सकती है। इस स्थिति में प्रस्थान सिगनल “आफ” संकेत तभी धारण करेगा जब गाड़ी बर्थिंग ट्रेक पर आ जायेगी।
- (ग) स्टेशन से सीधे जाने वाली गाड़ी को अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर शंटिंग अवश्य बन्द कर दी जाये और साधारण एवं सहायक नियम 5.23 के अनुसार बराबर वाली लाइनों पर किसी भी वाहन / वैगन जो बिना इंजन के हों, या इंजन से अलग हों, उन्हें अवश्य सुरक्षित कर दिया जाय।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को ‘आगे बढ़ो’ संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिए जो गाड़ी कू को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा भी आफ साइड से संचालन की चौकसी की जानी चाहिए। इस प्रकार के संकेत को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झण्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये। सहायक नियम 5.01(5)(i)(vi) देखें।
- (ङ) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तब कोई गाड़ी प्लेटफार्म वाली लाइन से बिना रुके सीधे नहीं जायेगी।

सहायक नियम 5.01(14)(iv), 4.10 साधारण एवं सहायक नियम 4.11 5.01 (5) देखें।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख तथा अनुमुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के लोको पायलट को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन व रात में अनवरत जलाये जाये। स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों का प्रकाशित होना सम्भव न हो सके तो साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 में उल्लिखित कार्य विधि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट ‘घ’ के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा ।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति मे कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है ।
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को 'आफ' नहीं किया जा सकता है अतः ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदन-प्रदान अवश्य ही किया जाय ।
साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

7. लाइन अवरुध्द होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है । किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुध्द हो, उसका समुचित विवरण लिखेगा ।
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा ।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा । जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, कार्यपर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा ।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुध्द हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा । साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे ।

जब परिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुध्द की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनों (Stabled Load) के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है ।
वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाय तथा लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये ।

- (i). सभी वाहनों के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनों को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनों का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनों के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनों के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेंगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनों को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

टिप्पणी :

1. बी0ओ0एक्स0, बी0ओ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनों के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये। साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. **शन्टिंग :** शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें ।

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
- i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों।
- iii) जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो ।
- iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित T-806 पर दी जाय।

(ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग** : निम्न शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- ii) सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों ।
- iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- iv) लोको पायलट को शन्टिंग आदेश देने के साथ-साथ शंटिंग चाबी भी दिया जाना चाहिये ।

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) सम्बन्धित होम एवं अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कॉटो तक शन्टिंग की अनुमति है ।

(ख) बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-

- i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- ii) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों ।
- iii) सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
- iv) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो
- ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो ।
- iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- v) लोको पायलट को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति T-806 पर दी जाय ।

8.4.1. शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल 'आफ' किये जाने के बाद शन्टिंग की अनुमति नहीं है। साधारण नियम 8.10 (2) देखें ।

8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :

(क) देवरनिया की ओर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शंटिंग करते समय गेट संख्या 27/A तथा किच्छा की ओर शंटिंग करते समय गेट संख्या 28/Spl का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व शंटिंग प्रभारी का होगा ।

(ख) **शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-**

1. शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
2. सहीं-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
3. शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
5. शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखाना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii)) देखें।

8.5. **स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :** कोई नहीं।

8.6. **बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि :-** कोई नहीं।

9. **असामान्य परिस्थितियाँ :**

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :**

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन /अथवा वी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा वी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है।

2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा वी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

2.(ख) **वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-**

(i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगा।

(ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैंस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।

(अतुल सिंह)

(आर०पी०मिश्रा)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
- (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)
3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड कांटे पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त कांटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त कांटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन कांटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।

4(क) क्रैन्क हैण्डल द्वारा कांटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-
परिशिष्ट 'ख' के पैरा 8 व 9 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

4(ख) कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-
ट्रैक सर्किट / एक्सल काउन्टर के खराब होने पर कॉलिंग आन सिगनल आफ करने से पूर्व वॉछित मार्ग जिस पर गाड़ी को गुजरना है, का सत्यापन कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं किया जायेगा।

4(ग) कांटों, ट्रैक सर्किट/ एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :
संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 12 को देखें।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन अथवा बी०एस०एन०एल०फोन
(ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
(च) वी० एच० एफ० सैट

(अतुल सिंह) (आर०पी०मिश्रा) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मसिदूई/नि/लखनऊ मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. **इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :**

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 **संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -**

| क्रम | प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर | प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर |
|------|---|---|
| 1. | संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा | निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा। |
| (क) | लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार | |
| (ख) | सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है। | |
| (ग) | अन्तिम रोक सिगनल को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार। | |
| (घ) | प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमे प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा। | |
| (ङ) | प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमे इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो। | |

| | | |
|----|---|--|
| 2. | यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा । | 2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षरत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीयर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे। |
|----|---|--|

टिप्पणी :

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।

(अतुल सिंह) (आर०पी०मिश्रा) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मसिदूई/नि/लखनऊ मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

9.4. विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

- (क) इस स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई (IPS) का प्रावधान किया गया है।
- (ख) इस उद्देश्य से एक आई०पी०एस० मानिटरिंग पैनल उपलब्ध है। पैनल पर प्रदर्शित इसके संकेतों तथा विफलता के समय जनरेट के प्रचालन हेतु विस्तृत अनुदेशों के लिये सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 को पढ़ा जाय।
- (ग) कार्यरत स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगे जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग स्टेशन मास्टर द्वारा अंकित की जायेगी।
- (घ) स्टेशन मास्टर निम्न प्रारूप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटों के साथ ही साथ रखेंगे।

प्रारूप

1. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

| क्रम संख्या | तिथि | IPS चाजिंग का समय | व्यवसायिक विद्युत विफलता | | | जनरेटर रनिंग | | | | टिप्पणी |
|-------------|------|-------------------|--------------------------|----------------|---------|---------------------|------------------|---------|---------------------|---------|
| | | | विफलता का समय | आपूर्ति का समय | कुल समय | स्टार्ट करने का समय | बन्द करने का समय | कुल समय | मीटर रीडिंग के घंटे | |
| | | | | | | | | | | |

2. डीजल का उपयोग :

| क्रम संख्या | दिनांक | कितना डीजल प्राप्त हुआ | जनरेटर का कुल रनिंग समय | डीजल तेल की कुल खपत | शेष डीजल तेल | टिप्पणी |
|-------------|--------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------|
| | | | | | | |

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

- (क) अप छोर : दिन एवं रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या S-4 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
- (ख) डाउन छोर : दिन एवं रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या S-5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

(अतुल सिंह) (आर०पी०मिश्रा) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मसिदूई/नि/लखनऊ मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर : परिशिष्ट "ड" देखें ।

12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फॉग सिगनलमैनो के नाम :

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका मे अलग से तैयार की जायेगी ।

13. परिशिष्टों की सूची :

परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन

परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति

परिशिष्ट "ग" टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

परिशिष्ट "घ" गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

परिशिष्ट "ङ" स्टेशन के आवश्यक उपस्कर

परिशिष्ट "च" डी०के०स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

परिशिष्ट "छ" विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर /50

बहेड़ी

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।
- (घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, काँटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मर्दों का उल्लेख कर दिया गया है।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना।
2. काँटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में काँटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. यदि आवश्यक हो, तो अनुमुख काँटों के पास रहकर रक्षित करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में काँटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।

11. **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-**

- i) सिगनल, कौंटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :- जब कौंटों, कौंटेवाले द्वारा प्रचालित होते है, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कौंटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कौंटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कौंटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. **गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटकवाला के कर्तव्य**

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्टि “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- | | | |
|----|-------------------------|------------------------------------|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती | - 05 बैट्री आपरेटेड - 04 के०आयल |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी | - 06 हरी तथा 9 लाल |
| 3. | पटाखा सिगनल | - 50 |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे | - 04 तालो सहित |
| 5. | क्लैम्प | - 06 तालो सहित |
| 6. | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स | - 01 |
| 7. | फायर बकेट | - 06 |
| 8. | अग्निशामक यन्त्र | - 02 |
| 9. | लकड़ी के गुटके | - 04 |

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

संचालन नियम सं० इज्जत/50

बहेड़ी

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर